न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बसिया (गुमला)

आदेश

अनुमति वाद संख्या 29 /2022-23

केश का प्रकार – सी0एन0टी0 एक्ट 46

आदेश की क्र0 एवं तारीख	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
21.1.23	(order text below)	

आवेदक (1) मनोज भेंगरा (2) अलब्रेट भेंगरा दोनों के पिता– निर्मल भेंगरा जाति मुण्डा ग्राम– पोकला, थाना– कामडारा, जिला– गुमला स्थित थाना संख्या 63, स्थित मौजा– पोकला के खाता संख्या 32, प्लॉट संख्या 1039 रकबा 1.63 एकड़ में से 0.20 एकड़ भूमि को क्रेता– ग्लोरिया तोपनो, पति– सुनील तोपनो, जाति मुण्डा, ग्राम–पोकला, थाना– कामडारा, जिला– गुमला के साथ बिक्री/वसीयत/बक्सीस करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा– 46 के अन्तर्गत अनमति हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमति वाद प्रारम्भ किया गया।

भूमि का विवरणी

मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा	जमीन का किस्म
पोकला	63	32	1039	1.63 में से 0.20 ए0	

कुल – 0.20 ए0

प्लॉट संख्या 1039 की चौहदी – **उत्तर में** – अजीत केरकेट्टा, **दक्षिण** – कब्रगाह, **पुरब** – नीज विक्रेता का टांड़ **पश्चित** – नीज क्रेता का टांड़

जमीन विक्रेता की विवरणी

(1) मनोज भेंगरा (2) अलब्रेट भेंगरा दोनों के पिता– निर्मल भेंगरा जाति–मुण्डा ग्राम– पोकला, थाना– कामडारा जिला– गुमला।

जमीन क्रेता की विवरणी

ग्लोरिया तोपनो, पति– सुनील तोपनो, जाति–मुण्डा, ग्राम–पोकला, थाना– कामडारा, जिला– गुमला।

आवेदित भूमि को आवेदक प्रस्तावित क्रेता ग्लोरिया तोपनो, पति– सुनील तोपनो, जाति–मुण्डा, ग्राम–पोकला, थाना– कामडारा, जिला– गुमला से मो0 1,20,000.00 (एक लाख बीस हजार) रूपये पर बिक्री करने का तय हुआ है। आवेदक को रूपये की जरूरत खरीदने हाल बैल वो भी दिगर काम की आवश्यकता है के कारण ही आवेदक भूमि की

बिक्री कर रहे हैं। अचंल अधिकारी, कामडारा को आवेदन भेजते हुए जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम इश्तेहार निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, कामडारा के कार्यालय पत्रांक 10 दिनंक 17.12.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके कारण आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी प्रकार की ओर से किसी प्रकार का कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। उक्त भूमि के बिक्री के बाद भी आवेदक के पास प्रर्याप्त भूमि शेष बचता है।

आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भू–बन्दोबस्ती, भू–हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू–अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनों पक्ष अनुसूचित जनजाति के समुदाय के अन्तर्गत जाति मुण्डा के हैं साथ ही एक ही थाना के निवासी है।

अतः अंचल अधिकारी, कामडारा के जाँच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक (1) मनोज भेंगरा (2) अलब्रेट भेंगरा दोनों के पिता– निर्मल भेंगरा जाति मुण्डा ग्राम– पोकला, थाना– कामडारा, जिला– गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि 1,20,000.00 (एक लाख बीस हजार) रूपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनों में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एत्त द्वारा............प्रदान की जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावी नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमण्डल पदाधिकारी,
–सह–
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बसिया (गुमला)

अनुमण्डल पदाधिकारी,
–सह–
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बसिया (गुमला)

Digitally signed by SHEKHAR KUMAR
Date: 2024.07.19 12:00:55 +05:30
Location: 192.168.1.10